

प्रार्थी:- गोमाराम पुत्र श्री हिन्दुराम, जाति मेघवाल, निवासी हरिनगर  
सामराऊ, तहसील ओसियां, जिला-जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:- श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित -

प्रार्थी की ओर से - अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई  
अप्रार्थी की ओर से - सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-::निर्णय::-

दिनांक:- 31.3.21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि- प्रार्थी प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काशत सुदा भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 184 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 68 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 08 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 47 रकबा 49 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम हरिनगर पटवार हल्का सामराऊ, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपीया पि. हिन्दुराम दर्ज है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम गोमाराम पि. हिन्दुराम हैं। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश गोपीया पि. हिन्दुराम दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम गोमाराम पि. हिन्दुराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। प्रार्थी का नाम सुधारा जाता है तो अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 184 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 68 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 08 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 47 रकबा 49 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम हरिनगर पटवार हल्का सामराऊ, तहसील ओसियां, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम



अधिवक्ता कलिकाट, जोधपुर

गोपीया पि. हिन्दूराम दर्ज कर रखा हैं जो गलत हैं उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम गोमाराम पि. हिन्दूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपीया पि. हिन्दूराम के स्थान पर गोमाराम पि. हिन्दूराम किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम गोमाराम पि. हिन्दूराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 184 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 68 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 08 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 47 रकबा 49 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम हरिनगर पटवार हल्का सामराउ, तहसील ओसियां, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपीया पि. हिन्दूराम के स्थान पर गोमाराम पि. हिन्दूराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। फलना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



  
सहायक कलक्टर, ओसियां  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 31.3.2018 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर, ओसियां  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां